प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4555/2009

याचिकाकर्ता: संतोष कुमार विश्वकर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>साथ में</u>

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3882, 3883, 3884, 3885, 3898, 3999, 4123, 4199, 4482,4483, 4484, 4485, 4486, 4489, 4865, 3684 और, 4438 2009

15 मार्च, 2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 4555/2009

याचिकाकर्ता: संतोष कुमार विश्वकर्मा

बनाम

उत्तरदाताओं छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

साथ में

डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 3882, 3883, 3884, 3885, 3898, 3999, 4123, 4199, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4489, 4865, 3684 और 4438 2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्रीमती रेणु कोचर, श्री जितेंद्र पाली, श्री मतीन सिद्दीकी, श्री मनीष शर्मा और श्री राकेश एंथनी, संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री वाई.एस.ठाकुर उपमहाधिवक्ता राज्य/ उत्तरवादीगण की ओर से।

निर्णय और आदेश

(15 मार्च, 2010 को घोषित किया)

1. उपर्युक्त 18 रिट याचिकाओं में तथ्यों और विधि के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है और निर्णय लिया जा रहा है।

2. इन याचिकाओं में चुनौती दिनांक 13.08.2008 के विज्ञापन के खंड क्रमांक 4 और 5 की व्याख्या को लेकर है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (जिसे आगे 'व्यापम' कहा जाएगा) द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा 2008 में चयन के लिए आवेदन किया था।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण। इसके बाद, उन्हें एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु पटवारी

प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु चयन हेतु काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके पास शासकीय/ अर्द्ध शासकीय या भारत संघ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाणपत्र था। याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से मना कर दिया गया कि उनके पास मौजूद डिप्लोमा प्रमाणपत्र दिनांक 13.08.2008 के विज्ञापन के खंड 4 और 5 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों से नहीं थे।

4. पटवारी चयन परीक्षा 2008 व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें विज्ञापन की विषयवस्तु एक ही थी और विभिन्न जिलों में अलग-अलग जारी की गई थी। रायगढ़ और रायपुर के मामले में विज्ञापन की दिनांक 13.08.2008, कवर्धा, धमतरी और दुर्ग के मामले में 12.08.2008, राजनांदगांव के मामले में 20.08.2008 और बिलासपुर के मामले में 27.08.2008 थी।

5. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर, श्री जितेंद्र पाली, श्री मतीन सिद्दीकी, श्री मनीष शर्मा और श्री राकेश एंथनी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) प्राप्त की है। अतः, इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कि याचिकाकर्ताओं के पास आवश्यक कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) नहीं थी, गलत है और यह रद्द किये जाने योग्य है। अतः, ये याचिकाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वाई.एस.ठाकुर ने संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने दिनांक 21.7.2008 को एक परिपत्र जारी किया था (डब्ल्यू.पी..(एस) क्रमांक 4555/2009 का अनुलग्नक आर/2) जिसमें पटवारियों की योग्यता और नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए थे। परिपत्र के खंड 6 में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार को शासकीय / अर्द्ध शासकीय या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति के मामले में, प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि के भीतर कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) प्राप्त करना आवश्यक है। रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय या किसी अन्य विभाग द्वारा मान्यता को उचित मान्यता नहीं माना जा सकता क्योंकि संस्थानों को राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा

निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि विवादित कोई भी संस्थान केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अर्द्ध- शासकीय निकाय के उचित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर ने सरकारी विभागों में सहायक ग्रेड–III और स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर प्रमाण पत्र / डिप्लोमा जारी करने के लिए विभिन्न संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2007 (डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 4555/2009 के अनुलग्नक आर / 3) जारी की है। राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ने अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2007 (डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 4555/2009 के अनुलग्नक आर/4) द्वारा, भूमि अभिलेख मैनुअल में योग्यता के रूप में कम से कम हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो और शासकीय या शासकीय या भारत संघ या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने और उन पर विचार करने तथा उनसे संलग्न दलीलों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विज्ञापन के खंड 4 और 5 में प्रावधान है कि उम्मीदवार के पास एक वर्षीय कंप्यूटर अनुप्रयोग योग्यता (डिप्लोमा) होनी चाहिए। दिनांक 13.08.2008 के विज्ञापन (डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3684/2009 के अनुलग्नक पी/1) के खंड (ए) में योग्यता निर्धारित की गई है। उपखंड 4 और 5 इस प्रकार हैं:

"(4) छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना कमांक एफ 1-25/2004/सात-3, दिनांक 16 मई 2007 द्वारा जारी अधिसूचना में संशोधित अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त 2007 के अनुसार पटवारी पद के लिए उम्मीदवारों को शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भारत तथा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) अनिवार्य होगा.

(5) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के पटवारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा भारत सरकार तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष के अंदर कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

9. दिनांक 7 जून, 2007 का परिपत्र (डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4438/2009 का अनुलग्नक आर/2) शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है, जैसे (i) कंप्यूटर मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/आधुनिक कार्यालय प्रबंधन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। (ii) कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमाण पत्र/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वैधानिक रूप से स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्य विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, (iii) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा जारी डिप्लोमा प्रमाण पत्र और (iv) मान्यता प्राप्त आईटीआई द्वारा जारी कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम सहायक ट्रेड में एक वर्षीय प्रमाण पत्र।

10. इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर द्वारा पटवारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए, परिपत्र दिनांक 21.7.2008 (रिट याचिका (एस) क्रमांक 4555/2009 का अनुलग्नक आर/2) द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित योग्यता के अनुरूप ही योग्यता का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र का खंड 6 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. उम्मीदवारों को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) अनिवार्य होगा। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के पटवारी प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष के अन्दर कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।"

यह विज्ञापन में निर्धारित योग्यता अथवा दिनांक 16.5.2007 और 01.08.2007 के ज्ञापन द्वारा संशोधित नियमों के अनुरूप है।

11. याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने का दावा करने वाले विभिन्न संस्थानों से डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं जैसे आई.सी.ई. कंप्यूटर शिक्षा, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसायटी, नाइसटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसायटी, राष्ट्रीय बहुउद्देशीय शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परिषद (एनएसी-एमआईटी), कंप्यूटर आधारित सोसायटी फॉर एजुकेशन, रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज, लखोटिया कंप्यूटर सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशन कॉलेज (एनआईसी-टीईसी)।

12. एआईएसईसीटी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से मुख्य समर्थन प्राप्त होने का दावा करता है। एनआईसीई टीईसी सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनएसी – एमआईटी, लखोटिया कंप्यूटर सेंटर और कंप्यूटर बेस्ड सोसाइटी फॉर एजुकेशन किसी भी सरकारी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आईसीई कंप्यूटर एजुकेशन को छत्तीसगढ़ के रोजगार निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया प्रतीत होता है। एनआईसी-टीईसी राष्ट्रीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान और शिक्षा सोसाइटी से संबद्ध प्रतीत होता है। रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध प्रतीत होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज उपरोक्त किसी भी निकाय से कोई मान्यता नहीं दर्शाता है, जैसा कि 7 जून, 2007 के परिपत्र आर/2 (डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 4438/2009) में विहित है।

13. याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने, (डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 4123/2009 में, कंप्यूटर बेस्ड सोसाइटी फॉर एजुकेशन से कंप्यूटर में योग्यता (डिप्लोमा) प्राप्त की है और रुंगटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से कंप्यूटर मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। रुंगटा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध है, लेकिन पटवारी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता एक वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) है, जो उसने उस संस्थान से प्राप्त की है जो प्रशिक्षण देता है। दिनांक 7 जून, 2007 के परिपत्र के तहत अपेक्षित रूप से संबद्ध या मान्यता प्राप्त प्रतीत नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ताओं ने अपने इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिन संस्थानों से उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) प्राप्त की है, वे उचित निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका 9 में ऊपर बताया गया है।

15. विभिन्न जिलों में जारी विज्ञापन के कंडिका 4 और 5 में कुछ विसंगतियां प्रतीत होती हैं। लेकिन सभी विज्ञापनों में, ज्ञापन दिनांक 16.05.2007 और संशोधित ज्ञापन दिनांक 01.08.2007 का संदर्भ है। अधिसूचना दिनांक 16.05.2007 (डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 3684/2009 के अनुलग्नक पी/2) में संशोधन का प्रावधान है जिसके तहत छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली के नियम 3(1) में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) की न्यूनतम योग्यता का प्रावधान है। नियम 3(4) में संशोधन गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयनित

उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर शासकीय/अर्द्ध शासकीय या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर योग्यता (डिप्लोमा) का प्रावधान करता है। इसके बाद, दिनांक 01-08-2007 के ज्ञापन (डब्ल्यू.पी.(एस) क्रमांक 3684/2009 का अनुलग्नक पी/3) द्वारा गैर – अनुसूचित क्षेत्र शब्द को अनुसूचित क्षेत्र से प्रतिस्थापित किया गया और तदनुसार भूमि अभिलेख नियमावली के नियम 3 (4) से गैर शब्द को हटा दिया गया। इस प्रकार, विज्ञापन में निधारित योग्यता नियमों में उपरोक्त संशोधन के आधार पर पारित की गई थी, जो आवश्यक योग्यता निधारित करते है। यदि कुछ जिलो में प्रकाशित विज्ञापन के कोई विसंगति है। (उदाहरण के लिए, रायगढ़ जिले के मामले में, खंड 4 में जहाँ '' 4. छत्तीसगढ़ '' का उल्लेख है। शासन राजस्व विभाग एक वर्ष का कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता (डिप्लोमा) प्राप्त करना अनिवार्य होगा." एक मुद्रण संबंधी गलती प्रतीत होती है।

16. कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिन संस्थानों से उन्होंने एक वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन योग्यता (डिप्लोमा) प्राप्त की है, वे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। 'संबद्धता' और 'मान्यता' में अंतर है। 'संबद्धता' केवल छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से होती है, जबकि 'मान्यता' इस बात की पुष्टि है कि दूसरे प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य अधिकृत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल एवं अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी एवं अन्य[1] मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "6....'संबद्धता' और 'मान्यता'। जहाँ 'संबद्धता' का अर्थ, यह ध्यान देने योग्य है, छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार करना और प्रस्तुत करना है, वहीं एक निजी विद्यालय की 'मान्यता' अधिनियम में उल्लिखित अन्य उद्देश्यों के लिए है और केवल तभी जब विद्यालय को 'उपयुक्त प्राधिकारी' द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तभी वह अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होता है। पुनः, यह तथ्य कि विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ में अस्तित्व में था, उसे मान्यता प्राप्त विद्यालय का दर्जा नहीं दे सकता और न ही उसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन कर सकता है। उसे वह दर्जा प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि वह अधिनियम द्वारा परिकल्पित 'मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय' रहा हो। हालाँकि, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि यह अधिनियम

की धारा 2 (जे) में परिभाषित 'मौजूदा विद्यालय' था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि संबंधित तिथि को विद्यालय 'मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय' नहीं था और इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं था।

18. उपर्युक्त कारणों से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने उन संस्थानों से आवश्यक योग्यता अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन (डिप्लोमा) प्राप्त नहीं की है जो शासकीय/अर्द्ध शासकीय/भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उक्त संस्थानों द्वारा अन्य विभागों से ली गई मान्यता को मान्यता नहीं माना जा सकता क्योंकि मान्यता परिपत्र दिनांक 7 जून, 2007 (डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4438/2009 के अनुलग्नक आर/2) के अनुसार होनी चाहिए।

19. इस प्रकार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ताओं को पटवारी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश न देने का राज्य सरकार का निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है। इसमें कोई विकृति, अनियमितता या अवैधता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

21. वाद – व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Kusumlata